न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी शुचि त्यागी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 96/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक, यूको बैंक, शाखा औद्योगिक क्षैत्र भीलवाड़ा (राज0)

बनाम 1.मै0 ओम टूल्स प्रो0 श्रीमती शान्तादेवी पत्नि शुकरलाल सुथार निवासी नि0 ग्राम सालरा मजरा सांगानेर वार्ड नं0 41 त0 भीलवाड़ा
2.श्री शंकरलाल पिता धन्नालाल सुथार निवासी सालरा मजरा सांगानेर त0 भीलवाड़ा

—— प्रार्थी

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थितः— श्री सतीश विजय— वकील प्रार्थी

आदेश

दिनांक : 12/06/2018

प्राधिकृत अधिकारी, मुख्य प्रबन्धक यूको बैंक, शाखा औद्योगिक क्षैत्र भीलवाड़ा की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी मै0 ओम टूल्स के प्रो0 श्रीमती शान्तादेवी पत्नि शंकरलाल सुथार एवं श्री शंकरलाल पिता धन्नालाल सुथार निवासी सालरा मजरा सांगानेर त0 भीलवाड़ा को ऋण सुविधा प्रदान की थी। उक्त ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थी सं0 01 एवं 02 ने स्वयं के नाम पर संयुक्त रूप से नगर परिषद भीलवाड़ा की ओर से राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत आवंटित आवासीय भूखण्ड पट्टा संख्या 13345 दिनांक 16.08.2013 से कुल क्षैत्रफल 119.11 वर्गफीट को तथा ग्राम पंचायत सांगानेर ने पत्रावली संख्या 13 सम्वत् 2017 दिनांक 27.11.1960 को ग्राम सालरा में स्व0 मोहनलाल पिता प्यारचन्द डाड को एक आवासीय भूखण्ड नपती 62 गुणा 40 फीट कुल क्षैत्रफल 2480 वर्गफीट का आवंटित किया उसे श्री रतनलाल पिता प्यारचन्द डाड ने जरिये पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 28.08.2009 से श्री शंकरलाल पिता धन्नालाल सुथार ने क्रय कर स्वामित्व प्राप्त किया उक्त भूखण्डों पर स्थित भवन एवं भूमि के समस्त हक हकूकों सहित रहन रखा गया । अप्रार्थी के द्वारा तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया गया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत पंजीकृत नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीया ने ऋण राशि की अदायगी नहीं की। प्रार्थी ने ऋणी के खाते को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया है। जिससे

जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई साम्यिक बन्धक सम्पत्ति का कब्जा लेने का अधिकार प्रार्थी को है।

प्रार्थी अधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं जाहिर किया कि नियमों के अनुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ–पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहनशुदा सम्पत्ति को प्रार्थी को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं:–

1.रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत आक्षेप प्राप्त होता है तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करवावें।

2.आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ–पत्र पर दिये जा रहे हैं यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार भीलवाड़ा को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शुचि त्यागी)
जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा